संख्या- 42/2018/1061/30-3-18-19बी/2013

प्रेषक,

मुहम्मद अखलाक खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनॉक 28 मार्च, 2018**

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 02.01.2018 में अनुमोदित 03 ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-283ए/2018-154ए/2017, दिनॉक 08-02-2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सीतापुर व हरदोई में एक-एक ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-18/219/30-3-2014-19बी/2013, दिनांक 11.02.2014 द्वारा प्रति ईकाई रू० 8.61 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी एवं जनपद बिजनौर व अन्य जनपदों में ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-83/3239/30-3-2014-19बी/2013, दिनांक 21.11.2014 द्वारा प्रति ईकाई रू० 10.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24 वृहत निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि रू0 991.10 लाख में से उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत "कोष प्रबन्धन समिति" की बैठक दिनॉक 02-01-2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार-जनपद-सीतापुर, हरदोई एवं बिजनौर में उपलब्ध भूमि पर ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ०प्र० समाज कल्याण निगम लि० लखनऊ के पुनरीक्षित आगणन रू० 31.98 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित/आंकलित लागत रू 30.79 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रयोजना की मूल स्वीकृति लागत रू० 27.81 लाख के सापेक्ष अंतर की धनराशि रू० 2.98 लाख (संलग्न सूची के अनुसार) की (रू0 दो लाख अठ्ठानबें हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.08.2017 वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

(2) कार्य की विशिष्टयॉ मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिय है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा कियी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(6) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-2056/30-3-13-19बी/2013, दिनॉक 03-09-2013 में मानकीकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-

(मुहम्मद अखलाक खॉ)

विशेष सचिव।

संख्या-42/2018/1061(1)/30-3-2018, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ/संभागीय परिवहन अधिकारी मुरादाबाद।
6- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बिजनौर, सीतापुर एवं हरदोई।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(विनोद कुमार)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सूची-क

ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण कार्य का विवरण :

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित/आंकलित लागत	अंतर की धनराशि/स्वीकृत धनराशि
1	जनपद हरदोई	8.61	10.08	1.47
2	जनपद सीतापुर	8.61	9.65	1.04
3	जनपद बिजनौर	10.59	11.06	0.47
	योग:-	27.81	30.79	2.98

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।